

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर



सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
बनाई गई मेन्युअल्स की जानकारी



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, शंकर नगर रायपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बनाई गई मैन्युअल्स की जानकारी

(स्थापना शाखा)

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का स्थापना

शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा - 3 के तहत अधिसूचना क्रमांक - 177/3236/32/2003 दिनांक 12.02.2004 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का गठन किया गया है। अधिसूचना क्रमांक - 249/1876/32/2003 दिनांक 28.02.2004 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के विभाजन से प्राप्त अस्तियां, दायित्व, अधिकार एवं कर्मचारियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि नवगठित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को सौंपा गया।

मण्डल का गठन - छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 4 के अनुसार :-

मण्डल में एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जायेगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे अर्थात्-

(क) निम्नलिखित विभागों में से प्रत्येक विभाग का भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उसका नाम निर्दिष्ट अर्थात्-

(I) आवास विभाग

(II) वित्त विभाग

(ख) अध्यक्ष, आवास एवं नगर विकास निगम, नई दिल्ली या उसका नाम निर्दिष्टिती

(ग) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

(घ) राज्य विधान सभा के दो सदस्य जा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किए जायेंगे।

(ङ.) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसका नाम निर्दिष्टिती।

(च) दो अभासकीय व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जायेंगे।

(छ) गृह निर्माण, इन्जीनियरी, वस्तुकला या नगर निवेश के क्षेत्र में प्रमुख एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जायेगा।

(ज) गृह निर्माण आयुक्त।

(2) गृह निर्माण आयुक्त मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा

2. संगठन की विषिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य :-

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के नाम से एक मण्डल की स्थापना करेगी जो कि एक निगमित निकाय होगा जिसका शाष्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुए, और जो उक्त नाम से वाद चला सकेगा तथा जिसके विरुद्ध उक्त नाम से बाद चलाया जा सकेगा।

—क्रमः2

3. वित्तीय प्रबंधन :-

मण्डल द्वारा अपने स्थापना व्यय अथवा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन अपनी योजनाओं के पर्यवेक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाता है। इस हेतु शासन के द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है। राज्य शासन की आवास नीति के अंतर्गत मण्डल के द्वारा कार्य किया जाता है। राज्य प्रवर्तित योजनाओं में जैसे कि – दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना तथा अटल विहार योजना आदि में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। तथा अनुदान राशि प्रदाय की जाती है, जिसका कि लाभ सीधे हितग्राही को प्राप्त होता है। हितग्राहियों को रियायत प्रदाय करने के उद्देश्य से एफोर्डेबल हाऊसिंग हेतु EWS, LIG & MIG भवनों में क्रॉस सब्सिडी की जाती है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करता है तथा मण्डल का स्वयं का अपना बजट होता है। शासन द्वारा अथवा अन्य माध्यम से मण्डल के स्थापना व्यय तथा अन्य व्यय हेतु अनुदान आदि प्राप्त नहीं होता है। मण्डल के द्वारा मुख्यतः स्व – वित्तीय योजना अंतर्गत आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार मण्डल की गतिविधियों में अधिकांश हितग्राहियों द्वारा भुगतान की गई राशि ही होती है।

3. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशको और अभिलेख :-

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम – 1972
2. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नियम भर्ती तथा सेवा शर्तें तथा – 1977
3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विनियम – 1998
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल लेखा नियम – 1998
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम – 2011
6. मूलभूत नियम
7. वित्तीय संहिता
8. पेंशन नियम
9. सिविल सेवा आचरण नियम – 1965

4. निति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श से बनाई गई, व्यवस्था का विवरण :-

अधिनियम में संशोधन राज्य के विधान सभा से पारित किये जाते हैं नियम विधान सभा के पटल पर किया जाता है।

क्रमः3

5. लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

मैनुअल (1), (2), (3) में उल्लेखित समस्त प्रकरणों से संबंधित नस्ती उपलब्ध हैं।

6. बोर्ड परिषद समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

क्रं	क्रमांक कार्यालय/संभाग का नाम	स्थान
1	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय	शंकर नगर, रायपुर
2.	संभाग - 01, रायपुर	कबीर नगर, रायपुर
3.	संभाग - 02, रायपुर	ष्ंकर नगर, रायपुर
4.	संभाग - 03, रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
5.	संभाग - 04, रायपुर	सेजबहार, रायपुर
6.	राज.परि. संभाग - 1 रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
7.	राज.परि. संभाग - 2 रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
8.	संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग
9.	परि. संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग
10.	संभाग - राजनांदगांव	राजनांदगांव
11.	संभाग - बिलासपुर	नेहरू नगर, बिलासपुर
12.	संभाग - रायगढ़	चक्रधर नगर, रायगढ़
13.	संभाग - कोरबा	कोरबा
14.	संभाग - जगदलपुर	बोधघाट, जगदलपुर
15.	संभाग - अंबिकापुर	अंबिकापुर
16.	विद्युत संभाग, रायपुर	ष्ंकर नगर, रायपुर
17	संभाग - कोण्डागांव	कोण्डागांव

7. जन सूचना अधिकार के अंतर्गत पद नामित अधिकारियों का विवरण

(1) मुख्यालय हेतु

क्र.	पदनाम	जन सूचना अधिकार के कर्तव्य	लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1.	अपर आयुक्त	अपीलीय अधिकारी	प्रशासकीय अधिकारी
2.	मुख्य लेखा अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	लेखा अधिकारी
3.	संपदा अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी	सहायक वास्तुविद

(2) संभागीय कार्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी

क्र.	संभागीय अपीलीय अधिकारी	संभाग का नाम	लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	उपायुक्त - I	राजधानी परि. संभाग-1,2 रायपुर / परि. संभाग-दुर्ग / संभाग-दुर्ग / संभाग - जगदलपुर / संभाग- राजनांदगांव / संभाग - 02, रायपुर	उपायुक्त-II
2.	उपायुक्त-II	संभाग-1,3,4 रायपुर / संभाग-बिलासपुर / संभाग-रायगढ़ / संभाग- अंबिकापुर / विद्युत संभाग / संभाग -कोण्डागांव	उपायुक्त - I

(3) संभागीय कार्यालय हेतु जन सूचना अधिकारी

क्र.	संभाग का नाम	स्थान	जन सूचना अधिकारी
1	संभाग - 01, रायपुर	कबीर नगर, रायपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - 01 रायपुर
2	संभाग - 02, रायपुर	शंकर नगर, रायपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - 02 रायपुर
3	संभाग - 03, रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - 03 रायपुर
4	संभाग - 04, रायपुर	सेजबहार, रायपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - 04 रायपुर
5	राज.परि. संभाग - 1 रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर	कार्यपालन अभियंता राज.परि. संभाग-01 रायपुर
6	राज.परि. संभाग - 2 रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर	कार्यपालन अभियंता राज.परि. संभाग-02 रायपुर
7	संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग	कार्यपालन अभियंता संभाग - दुर्ग
8	परि. संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग	कार्यपालन अभियंता परि. संभाग - दुर्ग
9	संभाग - राजनांदगांव	राजनांदगांव	कार्यपालन अभियंता संभाग - राजनांदगांव
10	संभाग - बिलासपुर	नेहरू नगर, बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - बिलासपुर
11	संभाग - रायगढ़	चक्रधर नगर, रायगढ़	कार्यपालन अभियंता संभाग - रायगढ़
12	संभाग - कोरबा	कोरबा	कार्यपालन अभियंता संभाग - कोरबा
13	संभाग - जगदलपुर	बोधघाट, जगदलपुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - जगदलपुर
14	संभाग - अंबिकापुर	अंबिकापुर	कार्यपालन अभियंता संभाग - अंबिकापुर
15	विद्युत संभाग, रायपुर	शंकर नगर, रायपुर	कार्यपालन अभियंता - विद्युत संभाग, रायपुर
16	संभाग - कोण्डागांव	कोण्डागांव	कार्यपालन अभियंता संभाग - 01 रायपुर

8. निर्णय लेने की प्रक्रिया :-

मण्डल के विभिन्न प्राप्त प्रस्तावों पर संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर शासन से स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वित किये जाते हैं।

9. एवं 10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :-

अनुसूची – एक (कर्तव्य पद)

विनियम 4 तथा 5 देखिए

अ. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	वर्गीकरण	वेतन बैंड
1	2	4	5
1	आयुक्त	प्रथम श्रेणी	37400 – 67000 (ग्रेड वेतन – 10000)
2.	अपर आयुक्त / मुख्य अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	37400 – 67000 (ग्रेड वेतन – 8900)
3.	मुख्य लेखा अधिकारी	प्रथम श्रेणी	37400 – 67000 (ग्रेड वेतन – 8700)
4.	मुख्य संपदा अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 7600)
5.	उपायुक्त (सिविल)	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 7600)
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
7.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
8.	वास्तुविद	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
9.	लेखा अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
10.	संपदा अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
11.	प्रशासकीय अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
12.	भू – अर्जन अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
13.	स्टॉफ ऑफिसर	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 6600)
14.	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
15.	सहायक अभियंता (विद्युत)	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
16.	सहायक वास्तुविद	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
17.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
18.	प्रयोगशाला प्रभारी	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
19.	शाखा अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
20.	संपदा प्रबंधक	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
21.	निज सचिव	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
22.	विधि सलाहकार	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
23.	जन संपर्क अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600 – 39100 (ग्रेड वेतन – 5400)
24.	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	9300 – 34800 (ग्रेड वेतन – 4300)
25.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	9300 – 34800 (ग्रेड वेतन – 4300)
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड –2	तृतीय श्रेणी	9300 – 34800 (ग्रेड वेतन – 4300)
27.	उप अभियंता (सिविल)	तृतीय श्रेणी	9300 – 34800 (ग्रेड वेतन – 4200)
28.	उप अभियंता (विद्युत)	तृतीय श्रेणी	9300 – 34800 (ग्रेड वेतन – 4200)
29.	वर्क सुपरवाइजर	तृतीय श्रेणी	5200 – 20200 (ग्रेड वेतन – 2800)

// 6 //			
30.	सहायक संपदा प्रबंधक	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 2800)
31.	स्टेनोग्राफर ग्रेड -3	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 2800)
32.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 2800)
33.	वरिष्ठ सहायक	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 2400)
34.	सहायक ग्रेड -3	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 1900)
35.	स्टेनोटाइपिस्ट	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 1900)
36.	वहन चालक	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 1900)
37.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1400)
38.	भृत्य/ चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)

प्रतिनियुक्ति एवं मृत संवर्ग हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

39.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	9300 -34800 (ग्रेड वेतन - 4200)
40.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	5200 -20200 (ग्रेड वेतन - 2800)
41.	सहायक कार्यभारित	चतुर्थ श्रेणी	5200 - 20200 (ग्रेड वेतन - 1800)
42.	विद्युत/ विद्युतकार कार्यभारित	चतुर्थ श्रेणी	5200 - 20200 (ग्रेड वेतन - 1800)
43.	वायरमेन	चतुर्थ श्रेणी	5200 - 20200 (ग्रेड वेतन - 1800)
44.	समयपाल	चतुर्थ श्रेणी	5200 - 20200 (ग्रेड वेतन - 1800)
45.	प्लंबर	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1400)
46.	कारपेंटर	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
47.	पंप चालक	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
48.	माली	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
49.	तकनीकीकर्मी	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
50.	सयंत्रकर्मी	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
51.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
52.	मेसन	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
53.	भृत्य कार्यभारित	चतुर्थ श्रेणी	4750 -7440 (ग्रेड वेतन -1300)
54.	दैनिक वेतनभोगी	-	कलेक्टर दर

11. विभाग का बजट :-

S.No.	Name of Scheme	Bauget 2013-14		Bauget 2014-15	
		Receipt	Expenditure	Receipt	Expenditure
1	General Scheme (SFS)	66255.17	43201.00	51200.00	48400.00
2	Atal Vihar	14749.82	11400.00	23800.00	17100.00
3	Atal Awas	614.36	600.00	450.00	300.00
4	Deposit Work	7527.43	5030.00	7500.00	6530.00
5	BSUP	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ISHDP	280.58	200.00	280.00	170.00
7	Deendayal Scheme	3799.50	3799.00	6049.99	3000.00
8	Land Bank	0.00	5000.00	0.00	5000.00
9	Other Work	20.00	20.00	0.00	0.00
Total Exp. On Scheme		93246.86	69250.00	89279.99	82500.00
10	Admin. Exp.		3462.50		4000.00
Total Exp.		93246.86	72712.50	89279.99	86500.00

क्रमः 7

12. अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों की निति :-

1. दीनदयाल आवास योजना :- मण्डल द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क में 5 प्रतिषत का छूट ।
2. अटल आवास योजना :- मण्डल द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क में 8 प्रतिषत का छूट ।
3. अटल आवास योजना :- अटल आवास योजना में शासन द्वारा प्रतिहितग्राही को 50 हजार रूपये का अनुदान ।
4. अटल आवास योजना :- अटल आवास योजना में आदिवासी क्षेत्र जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाडा के हितग्राहियों को शासन के अनुदान के अतिरिक्त मण्डल द्वारा संचित निधि से राषि 50 हजार प्रति हितग्राही को अनुदान ।
5. अटल विहार योजना :- शासन द्वारा अटल विहार योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के हितग्राहियों को राषि 80000/- तथा एल.आई. जी. भवनों के हितग्राहियों को 40000/- का अनुदान ।

13. रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण**14. कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक/नियम**

मैनुअल- 3 के अनुसार

15. इलेक्ट्रानिक्स रूप से उपलब्ध सूचनाएँ

इलेक्ट्रानिक्स प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।

16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

जन सामान्य का कोई भी सदस्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मैनुअल - 7(1) 7(3) के अनुसार कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

17. अन्य उपयोगी जानकारीयां

विभाग से संबंधित सुसंगत जानकारी निम्नांकित कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है :-

क्र	क्रमांक कार्यालय/संभाग का नाम	स्थान
1	मुख्य लेखा अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर	शंकर नगर, रायपुर
2.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - 01, रायपुर	कबीर नगर, रायपुर
3.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - 02, रायपुर	शंकर नगर, रायपुर
4.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - 03, रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
5.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - 04, रायपुर	सेजबहार, रायपुर
6.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, राज.परि. संभाग-1, रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
7.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, राज.परि. संभाग-2, रायपुर	मौलश्री विहार, रायपुर
8.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग
9.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, परि. संभाग - दुर्ग	पदमनाभपुर, दुर्ग
10.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - राजनांदगांव	राजनांदगांव
11.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - बिलासपुर	नेहरू नगर, बिलासपुर
12.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - रायगढ़	चक्रधर नगर, रायगढ़
13.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - कोरबा	कोरबा
14.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - जगदलपुर	बोधघाट, जगदलपुर
15.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - अंबिकापुर	अंबिकापुर
16.	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, विद्युत संभाग, रायपुर	शंकर नगर, रायपुर
17	कार्यपालन अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी, संभाग - कोण्डागांव	कोण्डागांव

जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर